न्यायालयः— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग— 01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, चन्देरी जिला—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर— आरसीटी / 130 / 2017</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—13 / 17</u> संस्थापित दिनांक—12.04.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :	
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
अभियो	जन
विरुद्ध	
01—कप्तान पुत्र तख्ती अहिरवार उम्र 25 साल निव	गसी
हिरावल थाना चंदेरी जिला अशोकनगर।	
आर	रोपी
राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.	.
आरोपी द्वारा :– श्री परमार अधिवक्ता।	

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 26.04.2017 को घोषित)</u>

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादिव की धारा 337 के आरोप से उन्मोचित किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी रिव कुमार ने दिनांक 27.03.2017 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह अपनी टीव्हीएस मोटरसाईकिल से अपने गांव से चंदेरी आ रहा था। रास्ते में ग्राम प्राणपुर में उसका भांजा काशीराम अहिरवार मिला उसने कहा कि मामा कहां जा रहे हो, तब उसने कहा कि चंदेरी जा रहा हूं तब काशीराम भी उसके साथ पीछे बैठकर चंदेरी आने लगा। तभी प्राणपुर घाटी मोड पर चंदेरी तरफ से एक मोटरसाईकिल वाला जिसका नंबर एमपी 67 एमसी 3840 का चालक अपनी मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाता लाया और उसकी मोटरसाईकिल में रौंग साईड आकर टक्कर मार दी जिससे उसके भांजे काशीराम एवं उसे चोट आई एवं मोटरसाईकिल भी टूट गई। टक्कर लगने से मोटरसाईकिल चालक को भी चोट आई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 121/17 के अंतर्गत भादिव की धारा 279, 337 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र. सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 27.03.17 को समय 12.30 बजे प्राणपुर घटिया के पास चंदेरी, थाना चंदेरी पर वाहन मोटर साईकिल एमपी 67 3840 को लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना लायसेंस प्राप्त किए सार्वजनिक मार्ग पर चालन किया ?
- 3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा प्राप्त किए सार्वजनिक मार्ग पर चालन किया ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

- 07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न कमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 रवि, अ.सा. 02 काशीराम की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।
- 08— अभियोजन साक्षी 01 रिव ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वह अपनी मोटरसाईकिल से प्राणपुर से चंदेरी आ रहा था उसके साथ उसका भांजा काशीराम भी बैठा था। उक्त साक्षी के अनुसार एक अन्य मोटरसाईकिल वाले ने उसे टक्कर मार दी थी जिससे उसकी मोटरसाईकिल में टूट—फूट हो गई थी। अ.सा. 01 के अनुसार सामने वाली मोटरसाईकिल कौन चला रहा था, उसे नहीं मालूम। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिस ने प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध की थी तथा नक्शामौका प्रपी 02 बनाया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसे मोटरसाईकिल का नंबर नहीं मालूम। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि न्यायालय में उपस्थित आरोपी मोटरसाईकिल चला रहा था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी द्वारा

मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया गया था। अ.सा. 02 काशीराम ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वह फरियादी जो कि उसका मामा है, उसके साथ आ रहा था। उक्त साक्षी के अनुसार सामने से एक मोटरसाईकिल ने उन्हें टक्कर मार दी थी। उक्त साक्षी के अनुसार मोटरसाईकिल कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम। अ.सा. 02 ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी मोटरसाईकिल को तेजी से चला रहा था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी द्वारा मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित कर टक्कर मारी गई। प्रकरण में उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि दोनों ही साक्षीगण ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा प्रकरण के जप्तशुदा मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया गया। प्रकरण में जहां यह प्रमाणित नहीं है कि आरोपी द्वारा ही जप्तशुदा वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया गया, ऐसी दशा में यह भी प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी द्वारा वाहन को बिना लायसेंस के एवं बिना बीमा प्राप्त किए चालित किया गया।

- 09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादिव की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11— प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल एमपी 67 एमसी 3840 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उक्त सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे।

आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 12-428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

ग्राम न्यायालय, चंदेरी

(जफर इकबाल) (जफर इकबाल) व्य0 न्याया0 वर्ग—01 एवं न्यायाधिकारी व्य0 न्याया0 वर्ग—01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, चंदेरी